

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या -2019/SMD/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 22 अक्टूबर 2019



जे.डी.ए. से सील मुक्त करवाकर, भूखंड संख्या B-1/561 में
चल रही व्यवसायिक गतिविधियाँ

जे.डी.ए. ज़ोन-7 के भूखंड संख्या B-1/561 के बेसमेंट में बिना अनुमति बेलटेंट नामक स्पा सेंटर चल रहा है वहीं ग्राउंड फ्लोर पर थोमस कूक नामक कम्पनी का ऑफिस संचालित किया जा रहा है, वही अन्य दो दुकानों में भी व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

प्रकरण:-2

भाग:-1



भूखंड संख्या B-1/561 में चल रहा स्पा सेंटर, थॉमस कूक का ऑफिस और अन्य दुकाने

प्रवर्तन ज़ोन-7 द्वारा दी गयी सुचना के अनुसार भूखंड संख्या B-1/561 चित्रकूट को सील मुक्त किया गया।

जवाब मांगते सवाल?

1. जे.डी.ए. द्वारा सील क्यों खोली गयी?
2. क्या भूखंड मालिक द्वारा विधिक रूप से इस भूखंड का व्यवसायिक गतिविधियां हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
3. या भूखंड मालिक द्वारा गलत शपथ पत्र देकर सील मुक्त करवाया गया है?
4. क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. से व्यावसायिक उपयोग हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
5. क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
6. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
7. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?

जिम्मेदार अधिकारी!!

जे.डी.ए. आयुक्त(सील मुक्त करने का आदेश प्रदान करने हेतु जिम्मेदार)

जे.डी.ए. पुलिस अधीक्षक(सील मुक्त करने की अनुशंसा करने हेतु जिम्मेदार)

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन(सील मुक्त करने की अनुशंसा करने हेतु जिम्मेदार)

प्रवर्तन अधिकारी(सील मुक्त करने की अनुशंसा करने हेतु जिम्मेदार)